[Shri Lal K. Advani] it, it appears to me that the resolution was in the nature of a recommendation to the Government. However, I would like to examine the matter and understand its full implications from the Chairman of the House. Now here is a resolution that is addressed to the Government. It is addressed to me in a way because I represent the Government in this House and I immediately see it and I try to think for myself what I am to do about it. I see that two recommendations are made. One is that this is the one alternative that you consider, you seek the advice of a Committee of this House. Though that Committee is to be constituted by the Chairman with 15 Members, it is for me to decide whether I adopt this approach or the second alternative of Commissions of Inquiry, one for the Prime Minister and one for the former Home Minister. This is the Resolution as adopted by this House and after seeing this Resolution I felt that on the basis of it a recommendation is made to the Government. *(Interruptions)* As I said, a 'point of order . has been raised. You have expressed your view. I have expressed the Government's view. It is for the Chairman to decide about it. How this can be a contempt of the House or breach of privilege I fail to understand.

MR. CHAIRMAN: Next item. Calling Attention Motion. Mr. Yogendra Sharma.

SHRI ANANT PRASAD SHARMA: He commented On the whole Resolution and not on part of it. *(Interruptions)*

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir,....

MR. CHAIRMAN: After the Calling Attention Motion you can give personal explanation.

SHRI MANUBHAI PATEL: Mr. Bhupesh Gupta, you misguided them yesterday.

MR. CHAIRMAN: Sortufbf the hon. Members on this side said that the Chairman's decision will be final and they are going to respect it. I allowed you. You can give personal explanation after the Calling Attention Motion. Shri Yogendra Sharma.

SHRI K. K. MADHAVAN: I was raising a point of order. Why don't you allow me?

MR. CHAIRMAN: I have called him. Ye3, Shri Yogendra Sharma.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Recent alleged atrocities on Harijans in the various parts Of the country

SHRI YOGENDRA SHARMA (Bihar): Sir, I call 'the attention of the Minister of Home Affairs to the recent atrocities on Harijans in Tamil Nadu, Maharashtra and ther parts of the country resulting in loss of human lives and looting and burning of properties of Harijans.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): Sir, the Government deplore the recent incidents of clashes between Harijans and caste Hindus at Villu-puram in Tamil Nadu and in Maharashtra, particularly in Marathwada, where lives were lost and property damaged.

According to information received from Government of Tamil Nadu, on the evening of the 23rd July, 1978, one vegetable vendor, a caste Hindu, was alleged to have been assaulted by some persons from the Harijan Mohalla in Villupuram town for having earlier teased a girl from that Mohalla who came to buy vegetables. He sustained minor injuries. A case was registered by the Police that night. The vegetable merchants organised a hartal on the 24th July. A procession and a public meeting was also organised by them. After the meeting was over, some of the people set fire to a few cycle rickshaws and one or two thatched sheds. Next day, the situation was reported to be peaceful, but suddenly at about 8 A.M. some persons in the Harijan

Mohalla organising ^themselves into groups are alleged to have set fire to shops and houses in the main bazar [1] area. Similar arson directed against Harijan houses also came to be reported. In all, about 200 huts and 16 shops were damaged involving a total loss of about Rs. 10 lakhs. The situation was brought under control on the 25th afternoon by police reinforcements arriving from Cuddalore. On the 26th morning, 9 dead bodies were spotted in a tank in a village at the periphery of the town, and on the 27th three more bodies were found on the outskirts of the town. 8 bodies have since been identified and they belong to Harijans. Two Cabinet Ministers of the State, and several high officers have since visited Villupuram and camped there. A peace Committee consisting of representatives of various Political parties was formed and the town was returning to normalcy, according to the State Government. A judicial enquiry has since been ordered by the State Government and four revenue and police officers were transferred out. Arrangement was made by the authorities to provide relief to the victims.

Several incidents of violence and lawlessness occurred in Marathwada recently over the question of changing the name of Marathwada University. Resolutions were passed on the 27th July in both Houses of the State Legislature in favour of changing the name. An organisation called "Vidyarthi Kriti Samiti" gave a call for Bund in some towns of Marathwada to coincide with the date of resolution. After passing of the resolution became known, demonstrations turned violent in Aurangabad and Parbhani Districts. Orders under section 144 CrPC were promulgated in the affected towns. A number of incidents of brick-batting, damaging public pro--g *Iperty,* attacks on Government offices, *%k* State Transport and Railways, and even arson took place. Police parties were also attacked on several occasions and in one instance, a Police outpost was set on fire and a Police Sub-Inspector was burnt to death. After some time the movement spread to rural areas and also assumed a caste-complexion. According to the State Government, 19 incidents of clashes between Harijans and caste Hindus occurred in Marathwada between 28th July and 7th August and 2 Harijans were killed and 15 injured. About 1200 Harijan huts were destroyed or damaged in incidents of arson. Police had to open fire on 17 occasions, including 4 in connection with clashes between Harijans and others. A total of 4 persons were killed and 10 injured in police firings.

The Chief Minister of Maharashtra initiated talks with public leaders including representatives of students, student action committee from Marathwada and representatives of Dalit Panthers and neo-Budhist organisations. He requested them to exert their influence to prevent the agitation from assuming any caste oi communal colour. The agitation was suspended on the 6th August. I do hope that it wiH not be resumed and the organisers will realise the dangers of rousing feelings of caste animosi* ties.

No serious incidents have come to notice in the recent past from other parts of the country.

I am sure that all sections of the House would join me in condemning the lawlessness and acts' of violence which have affected the-lives and properties of law-abiding people in the last few days. Government also deplore and condemn the attacks on Harijans and the incidents which have given the agitation a caste-bias. I hope that all sections of the House would join me when I say that there is need for exerting maximum influence by all for the restoration of peace and harmony between different communities, whenever such incidents occur, and for bringing back normalcy as early as possible.

DR. (SHRIMATI) SATHIAVANI MUTHU (Tamil Nadu): Mr. Chairman, Sir, my submission is that the

[Dr. (Shrimati) Sathiavani Muthu]

' Tamil Nadu Government has already-appointed a judicial inquiry to probe into the matter. Now some say it is politically-motivated and some others say it is communally-motivated. Now il there is discussion here________

SHRI M. R. KRISHNA (Andhra Pradesh): Sir, I have to seek your ;, permission to answer her.

MR. CHAIRMAN: I have allowed * her. I have not allowed you.

SHRI M. R. KRISHNA: But there is a point of order.

MR. CHAIRMAN: Let her finish.

DR (SHRIMATI) SATHIAVANI , MUTHU: I am of the opinion that ,. if we discuss it here it may divert , the attention of the inquiry that is -going on in our State. I want your ruling. I belong to the same community whose twelve members have been murdered.

SHRIM. R. KRISHNA; Mr. Chairman, Sir, Shrimati Sathiavani Muthu had to resign from Ministership under protest since the funds allotted for the welfare of the Harijans were utilised for some other purposes. And now today when her own sisters, mothers and brothers were insulted, harassed and murdered in Tamil Nadu she places the party above the whole community and pleads that this should not be discussed here. This is a very serious thing. The Prime Minister has already said that atrocities against the Harijans are not a party issue or a provincial matter, it is a national matter. Therefore, it has to be discussed here.

SHRI BHAURAO DEVAJI KHOBRAGADE (Maharashtra): Mr. Chairman, Sir...

SHRI DEORAO PATIL (Maharashtra) : Sir, I am on a point or order.

MR. CHAIRMAN: Am I to allow the person who raised the Calling Attention or everybody else?

SHRI N. G. RANGA (Andhra Pradesh) : "We also join in expressing our-sympathies and our condolences to all those who have suffered in the incidents that have taken place in Marathawada as well as Villupuram. We have our sympathies with the bereaved families. Now may I know from the Central Government whether they are offering some compensation or some consolation to the families of all those who have died?

MR. CHAIRMAN: There is no point of order. Mr. Yogendra Sharma, you start, otherwise this sort of thing will never end. j

SHRI DEORAO PATIL: I am on a point of information...

MR. CHAIRMAN: You can start, Mr. Sharma^

SHRI N. G. RANGA: i' am only wanting the Government to say whether they are offering any financial assistance to the bereaved families.

SHRI BHAURAO DEVAJI KHOBRAGADE: Mr. Patil was on a point of information regarding incidents in Nagpur. The information already given by the hon'ble Minister is incomplete^ He wants information regarding the atrocities committed in Nagpur also. That is his point.

MR. CHAIRMAN: Why are you unnecessarily interfering? He may bring his point after he has finished. Mr. Sharma.

SHRI E. R. KRISHNAN (Tamil Nadu): What is your ruling? Our party leader has made a relevant point.

MR. CHAIRMAN: There is no ruling. She has brought it to the notice, of the House. Shri Yogendra Sharma.

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, बहुत ही लज्जा, शर्म और कलंक की बात है कि आज जब हम अपने स्वतंत्र राष्ट्र की 31वीं जयन्ती मना रहे हैं तो बिहार के बेलछी में हुए हरिजनों का हत्याकांड समूचे देश में फैलता हुआ मालम देता है । उस वक्त हमने सोचा था कि शायद बिहार पिछड़ा हुआ है और उसी की यह वजह है । लेकिन आज हम देखते हैं कि हरिजनों पर अत्याचार जाति विद्वेष की आग जो कहां फैली थी वह आगरा पहुंची ।

[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

आगरा ही नहीं पहुंची दिल्ली के नजदीक कंझावला गांव में भी पहुंची हुई है । वहीं आग तमिलनाडु के विल्लूपुरम में भी पहुंची है । वही आग मराठवाड़ा में भी पहुंची है । यह पूरे देश के लिये लज्जा और कलंक की बात है, किसी पार्टी की बात नहीं ।

वह देश जिसने अपने संविधान में धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र और समाजवाद के उद्देश्यों की घोषणा की है उस देश में हरिजनों की झोंपड़ियां जलाई जाएं उनको जिन्दा जलाया जाए, उनको उनके तमाम मानवीय अधिकारों से वंचित किया जाए, इससे बढ़ करके हम लोगों के लिये और शर्म की क्या बात हो सकती है ।

मान्यवर, इस पर मैं भाषण नहीं करना चाहता हूं क्योंकि बहुत दर्दनाक विषय है । मैं मंत्री महोदय से बहुत साफ सवाल पूछना चाहता हूं । मेरा पहला सवाल यह है कि क्या कारण है कि जाति-विद्वेष की आग पूरे देश में फैल गई ? क्या कारण है पिछले साल जब हम बेलछी कांड की चर्चा कर रहे थे उस वक्त मैंने जो सुझाव दिये थे उनको नहीं स्वीकार किया गया ? काश सरकार उन सुझावों को स्वीकार कर लेती, मेरी समझ है, तब यह जाति-विद्वेष इस तरह से पूरे देश को अपनी लपटों में न लपेटता ।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि वह बेलछी की आग आज सारे देश को जला रही है । दूसरा मेरा सवाल है कि डाक्टर अम्बेडकर एक साधारण पुरुष नहीं थे । वह भारत के एक साधारण नागरिक नहीं थे । वह इस देश के राष्ट्रीय नेताओं में से थे । उनका योगदान हमारे संविधान को तैयार करने में, देश में शिक्षा का प्रसार करने में, दलितों और पीड़ितों को उठाने में रहा है और यह योगदान उनका स्मरणीय है । इस राष्ट्र नेता की स्मृति में स्मारक बनाने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय सहमति हो । लेकिन राष्ट्रीय सहमति की जगह राष्ट्रीय विद्वेष की आग समूचे मराठवाड़ा में फैल गई है । शायद महाराष्ट्र के बहुत बड़े हिस्से में यह आग फैली है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस सवाल पर राष्ट्रीय सहमति कायम करने के लिए क्या कोई कोशिश की है ? अगर सरकार ने कोई कोशिश नहीं की है तो क्यों नहीं की ? हम समझते हैं कि डा० अम्बेडकर जैसे व्यक्ति के लिए समर्थन देने के सवाल पर राष्ट्रीय सहमति आसानी से हो सकती थी । यदि सरकार अपने कर्तव्य का पालन करती तो जो कठिनाई अब पैदा हुई है वह न होती । जो भी हो, हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस प्रश्न पर राष्ट्रीय सहमति कायम करने की कोशिश क्यों नहीं की ? तीसरा सवाल हमारा यह है कि मराठवाड़ा में जो हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं, राज्य मंत्री जी ने उनके संबंध में कुछ आंकड़े दिये हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकारी आंकड़े बहुत ही कम हैं । नागपुर के बारे में हमें जो रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार पुलिस ने हरिजनों की रक्षा करने के बदले सवर्ण हिन्दुओं की फौज बन करके जानवरों की तरह उनके साथ आखेट किया है और उनकी बस्तियों को जलाया । वहां पर अधिकांश हरिजन शायद बौद्ध धर्मावलम्बी हो गये हैं और नवबौद्ध कहलाते हैं ।

श्री भा० दे० खोबरगडे : वे लोग नवबौद्ध नहीं कहलाते हैं बल्कि बौद्ध कहलाते हैं।

श्री योगेन्द्र शर्मा : चूंकि वे लोग बौद्ध हो गए, इसलिए हरिजनों को जो सुविधाएं दी जाती हैं उनसे उन्हें वंचित कर दिया गया है। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि धर्म के आधार पर हरिजनों के बीच में भेदभाव करने की आपने जो नीति अपनाई है, क्या वह हमारे धर्म-निरपेक्ष सिद्धान्त के अनुरूप है या उसकी हत्या या हनन है ? आप धर्म के आधार पर जो भेदभाव करते हैं वह क्यों करते हैं और हरिजन बौद्धों को भी वे तमाम अधिकार क्यों नहीं देते हैं जो आप दूसरे हरिजनों को देते हैं। धर्म के आधार पर हरिजनों के साथ भेदभाव करना गलत है। आपको इस नीति को छोड़ना चाहिए। हम समझते हैं कि यदि आप इस भेदभाव की नीति को छोड़ देते तो मराठवाड़ा में जो इतना बड़ा हत्या कांड हुआ, जो इतने बड़े अमानुषिक अत्याचार हुए, वे न होते। मेरा चौथा प्रश्न यह है कि हमने अखबारों में विल्लुपुरम के बारे में बहुत सी बातें पढ़ी हैं। यदि मैंने मंत्री महोदय को सुनने में गलती नहीं की है तो उन्होंने यह कहा है कि सब्जी बेचने वालों के साथ कुछ छेड़खानी की गई। लेकिन असल बात उल्टी है। बात सही यह है कि सब्जी बेचने वाले हरिजनों की लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे।

श्री धनिक लाल मंडल : मैंने यही कहा है।

श्री योगेन्द्र शर्मा : इसलिए मैंने यह कहा है कि अगर मैंने सुनने में कोई गलती नहीं की है तो मैंने वही सुना है जो मैंने कहा है आप तो गांव के रहने वाले हैं। अगर यह बात सही है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि हरिजनों की बहू बेटियों के साथ गांवों के अन्दर जमींदार और जमीन के मालिक तथा भूपति जो व्यवहार करते हैं उन के विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की है ? मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का व्यवहार हरिजनों के साथ किया जाता है उसके विरुद्ध पूरे देश में बगावत होनी चाहिए। आगरा कांड के संबंध में जब सदन में चर्चा हुई थी तो प्रधान मंत्री जी ने सदन में हस्तक्षेप किया और हम लोगों को यह जान कर बहुत प्रसन्नता हुई कि उस वक्त प्रधान मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि जहां पर भी हरिजनों पर अत्याचार होंगे वहां पर संसदीय समिति भेजी जाएगी। ऐसी हालत में मैं जानना चाहता हूं कि आपने संसदीय समिति विल्लुपुरम में क्यों नहीं भेजी प्रधान मंत्री के इस आश्वासन पर क्यों नहीं अमल किया गया ? कहा जा सकता है कि राज्य सरकार इसके खिलाफ थी। तो तमाम राज्य सरकारें यदि खिलाफ है तो फिर प्रधानमंत्री के उस आश्वासन की क्या कीमत रह गयी ? फिर जो कमीशन बनाया गया है, जिस कमीशन के अध्यक्ष हमारे माननीय श्री शास्त्री जी है वह बेकार हो जायेगा। जब शास्त्री जी इस कमीशन के अध्यक्ष बनाये गये तो हम लोगों को बड़ी खुशी हुई थी, बड़ी प्रसन्नता हुई थी। हम यह जानना चाहेंगे कि क्या हरिजनों की सुरक्षा के बारे में प्रधानमंत्री ने जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन पर अमल तब तक नहीं होगा जब तक वे राज्य सरकारें जिनकी लापरवाही के कारण इस तरह के अत्याचार होते है, वे इसके लिये राजी न हों तो फिर यह कमीशन बनाना बेकार है।

मेरा पांचवा सवाल यह है कि आज के अखबार में श्रीमन्, हमने देखा कि कंझावला जो कि हमारी दिल्ली के निकट है वहां पर जो भूमि-पति लोग है, उन के नेताओं ने कहा है कि अगले इतवार को वे प्रधान मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। प्रदर्शन का अधिकार सब को है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का। लेकिन उन्होंने यह बात नहीं कही। जब अखबार

नवीसों ने उनसे पूछा कि पिछले तीन-चार वर्षों से ये हरिजन जमीन जोत रहे थे, उस वक्त तुम्हारे मवेशी कहां चरते थे, आज जो कहते हो कि यह तुम्हारे मवेशियों का चरागाह है, इसलिये हरिजनों को जमीन नहीं मिलनी चाहिए। पिछले तीन-चार वर्षों से यह बात चली आ रही है ये हरिजन उस जमीन को जोतते थे। उस वक्त तुम कैसे काम चलाते थे ? तो उनके एक नेता ने कहा कि जिस वक्त मनु ने चतुर्वर्णाश्रम की स्थापना की थी उस वक्त हरिजन कैसे रहते थे ? यह मनोवृत्ति है ? हरिजनों को वहां जाना पड़ेगा जहां पर मनु ने उनको रखा था, आज से भी बदतर जगह पर। यह मनोवृत्ति है। इसका प्रचार आर० एस० एस० के लोग कर रहे हैं और जन-मानस को विषाक्त कर रहे हैं।

डा० भाई महावीर (मध्य प्रदेश) : आपको पता ही नहीं है। कम से कम जानकारी प्राप्त करके बोलिये।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मैं अपनी जानकारी के आधार पर ही बोल रहा हूं।

डा० भाई महावीर : आप कुछ नहीं जानते हैं।

श्री योगेन्द्र शर्मा : आप सफाई क्यों दे रहे हैं यह तो मंत्री जी देंगे ?

डा० भाई महावीर : मंत्री जी आर० एस० एस० की सफाई नहीं देंगे।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, मैं कह रहा था कि यह एक विषाक्त वातावरण पैदा किया जा रहा है आर० एस० एस० के द्वारा।

डा० भाई महावीर : वह आपका किया हुआ है।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मैं छठा सवाल यह पूछना चाहता हूं कि 11 दिन तक मराठवाड़ा में ...

SHRI BHAURAO DEVAJI KHOBRAGADE; What about other Members if he is asking all these questions?

श्री उपसभापति : Please be brief बहुत सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री योगेन्द्र शर्मा : जब यह हत्याकांड चल रहा था उस समय वहां पुलिस क्या कर रही थी ? एक दिन की बात मैं समझ सकता हूं, दो दिन की बात समझ सकता हूं पर 10-11 दिन तक लूटपाट होती रही, मालूम पड़ता है कि देश में अराजकता हो गयी। यदि ऐसी चीज होती है कि दस-दस दिन तक, ग्यारह-ग्यारह दिन तक, बारह-बारह दिन तक इस तरह की लूटपाट मचती रहे तो फिर देश में कानून और व्यवस्था की शक्तियों का क्या हाल हो गया है ? वह कहां चली गई है। क्या यह संभव है कि 12 दिनों तक लूटपाट चलती रहे और देश की कानून और व्यवस्था की शक्ति उसके साथ किसी न किसी तरह का सहयोग न करे। उसके सहयोग के बिना 12-12 दिन तक इस तरह का काण्ड नहीं हो सकता। मैंने सुझाव दिया था कि हर जगह राज्य में सीधे मुख्य मंत्री की देखरेख में हरिजनों की रक्षा के लिए विशेष सेल की स्थापना की जाए जिसका चार्ज एक डी० आई० जी० के के पास हो। यह हमारी मांग आज से नहीं बहुत दिनों से है। यदि यह गलत है तो बतलाइये कि यह गलत है और यदि गलत नहीं है तो यह क्यों नहीं हुआ ? यदि हुआ है तो आप बताएं कि वहां कहां हुआ है, किन-किन राज्यों में हुआ है ? यह सभी मानते हैं कि हरिजनों पर जुल्म होते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वे अपनी कानूनी रक्षा भी नहीं कर सकते इसलिये मैं यह चाहता हूं कि उनको मुफ्त कानूनी सहायता दी जाए और यह मांग बार बार उठाई जा रही है। क्या सरकार ने उनको मुफ्त कानूनी सहायता

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

देने की कोई व्यवस्था की है ? यदि की है तो वह क्या व्यवस्था है ? जातीय विद्वेष की बात कही जाती है। कहा जाता है कि जब तक जात-पात रहेगी तब तक इस तरह की चीजें रहेंगी। मैं इस बात को नहीं मानता देश का औद्योगिकरण और भी आगे बढ़ेगा तो उस औद्योगीकरण के साथ-साथ जात-पात भी कम होगा लेकिन साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। क्या सरकार ठोस कदम उठाना चाहती है ? यदि नहीं उठाना चाहती हैं तो क्यों नहीं उठाना चाहती है ? श्रीमन, डेढ़ वर्षों में क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजनों की कितनी जमीन छीनी गई है ? उनके कितने घर उजाड़े गए हैं ? उनकी कितनी झोंपड़ियां जलाई गई है ? उनकी कितनी हत्याएँ की गई है, और उनके विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ कितने मुकदमें दर्ज किए गए हैं और उनमें से कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है ? अन्त में हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हरिजनों को तमाम शोषितों के साथ, पीड़ितों के साथ मिल कर उनकी जाति के आधार पर नहीं बल्कि तमाम पीड़ितों और शोषितों को साथ मिला कर इस तरह के अमानुषिक अत्याचार करने वालों के खिलाफ डटना होगा, लड़ना होगा और अपने मानवीय अधिकारों की रक्षा करनी होगी।

जीना है तो लड़ना होगा,

इस नारे के साथ उनको आगे बढ़ना होगा

क्या सरकार उन हरिजनों को दूसरे शोषित-पीड़ित तबकों के साथ, खेत मजदूरों के साथ संगठित करेगी, उनकी यूनियन बनाने में मदद करेगी ? हमें आशा है कि हमारे..

श्री भा० दे० खोबरागड़े : मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं क्या आप शोषितों, पीड़ितों और दलितों को एक जगह लाए हैं, क्या आपने कोशिश की है ?

श्री योगेन्द्र शर्मा : नहीं नहीं मैं तो तमाम शोषित पीड़ित लोगों की एकता कायम करने की बात कर रहा था।

(Interruptions).

SHRl BHAURAO DEVAJI KHOBRAGADE: And even then you are not bringing all those landless' people belonging to different castes into one organisation. The persons belonging to higher castes, who are landless, are also committing atrocities on the *daUts.*

SHRI YOGENDRA SHARMA: Our experience is different. Our experience is that agricultural workers, irrespective of religion, irrespective of caste, do unite, do form a union and do protect their rights.

SHRI BHAURAO DEVAJI KHOBRAGADE: Whenever there is a communal riot, these caste Hindu labourers and landless labourers commit atrocities on the landless Harijans.

SHRI YOGENDRA SHARMA: They are the agentg of lan3lords, monopolists and bourgeoisie who nourish Castism and Communalism.

SHRI BHAURAO DEVAJI KHOBRAGADE: It is the same communal mentality.

SHRI K. K. MADHAVAN (Keraia?: This statement suspending the Marathwada agitation itself calls upon the civic bodies to pursue their attempts to agitate... *(Interruption)* Another point is that the Police Officer who went there...

1 P.M.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let the Minister reply.

SHRI K. K. MADHAVAN: He had mentioned in the Press statement....

f MR. DEPUTY CHAIRMAN; Order, order.

SHRI K. K. MADHAVAN: According to that press statement, there was a particular group organising pressure on the Government for renaming" the university. It has come in the paper.

श्री धनिक लाल मंडल : महोदय हरिजनों पर जुल्म जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं कि बेलछी से आरम्भ होकर पूरे देश में फैल रहा हैं, उसके कई कारण है और महोदय समय-समय पर उन कारणों का यहां उल्लेख किया गया है इस सदन मे जैसे जमीन से सबंधित मामले, मजदूरी से संबंधित मामले जातीय विद्वेष से संबंधित मामले, आपसी दुश्मनी, पारिवारिक या व्यक्तिगत दुश्मनी के मामले। और माननीय सदस्य ने कहा कि जातीय विद्वेष की आग फैल रही है तो इसको फैलाने वाले कौन लोग हैं। मैंने ऐसा अपने बयान में भी कहा है, महोदय, कि इस तरह के जो एजीटेशन होते हैं जिनमें जातीय विद्वेष की भावनाओं को फैलाया जाता है और उसके परिणामस्वरूप जो जान और माल की क्षति होती है, बर्बादी होती है, लोग मरते हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार है और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको बहुत संजीदगी से, बहुत जिम्मेदारी से इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ऐसे मैंने बयान में अपील की है ...

(Interruptions)

श्री कमल नाथ झा (बिहार): महाराष्ट्र में अभी जो नयी सरकार बनी है वह जिम्मेदार है इसलिए आपको सोचना चाहिए।

श्री धनिक लाल मंडल : आपकी यह राय है, आपकी यह भावना है किन्तु सरकार ने बराबर ही विरोधी पक्ष से सहयोग की कामना की है, याचना की है, हमने बराबर इसके लिए अपील की है। प्रधान मंत्री जी ने बराबर अपील की है और इसके लिए पिछले दिनों से ऐसी बैठकें शुरू हो गयी हैं, विरोध पक्ष के साथ प्रधान मंत्री की बैठकें शुरू हो गयी हैं और उनमें इसका जायजा लिया जा रहा है कि इस तरह के जो जातीय विद्वेष फैल रहे हैं जैसा माननीय सदस्य ने कहा, जिसकी लपेट में, जिसकी आग में ये सारी घटनाएं और जान माल की बर्बादी होती है। मराठवाड़ा में ऐसा हुआ, विल्लपुरम में हुआ तो इसके लिए बैठकें शुरू हो गयी हैं और इस बात का प्रयास हो रहा है कि इस तरह विद्वेष को न फैलाया जाये और सब दलों के लोग ऐसा करें कि यह स्थिति भयंकर विस्फोटक रूप न ले। इस देश में जो जातीय दंगे होते हैं उनको रोकने के लिए सबके सहयोग की जरूरत है और सरकार अपील कर रही है कि इस पर सबों का सहयोग मिलना चाहिए क्योंकि इससे किसी का लाभ होने वाला नही है।

महोदय धर्म निरपेक्षता की बात की गयी। यह आदर्श अपने देश का है। महोदय मैं इससे सहमत नहीं हूं। यह धर्मनिरपेक्ष जो है यह भी एक कारण है कि हम लोग इस तरह से बर्बर हो गये हैं। यदि सर्व धर्म संभव है और धर्म की अच्छी अच्छी बातों को बच्चों को पढ़ाया जाये तो मेरा ख्याल है कि इससे स्थिति मे सुधार होगा। *(Interruptions)* महोदय डाक्टर अम्बेडकर ...

SHRI K. K. MADHAVAN: I want to know from the Mininster

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him finish first.

SHRI K. K. MADHAVAN: This is a deep-seated disease...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, order. There cannot be any debate of this nature.

SHRI K. K. MADHAVAN: Is he prepared to accept it?

श्री धनिक लाल मंडल : महोदय, यह दुखद बात है, निन्दनीय और कलंक की बात है कि डाक्टर अम्बेडकर हों, शिवाज हों या माहात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध हो औ

[श्री धनिक लाल मंडल]

इनकी मूर्तियों को इनके नामों को आंदोलन में घसीटा गया । उस नाम को लेकर जो जातीय विद्वेष का भाव पैदा किया गया, जिसकी वजह से ये सारी हिंसा की घटनाएं हुई और जान माल की बर्बादी हुई तथा ला एअाईडिंग सिटीजन को तकलीफ हुई यह सचमुच में कलंक की बात है, दुख की बात है । डाक्टर अम्बेडकर के नाम को लेकर अथवा शिवाजी के नाम को लेकर अथवा बुद्ध के नाम को लेकर जो कोई भी काम किया गया है वह निन्दनीय है, उसकी निन्दा होनी चाहिए, हमारा इसमें साथ है । लेकिन महोदय जो माननीय सदस्य ने कहा कि डाक्टर अम्बेडकर के नाम पर उनकी स्मृति में कोई शानदार चीज बड़ी चीज बननी चाहिये इसके लिए सरकार ने कन्सेंसस पैदा नहीं किया, सहमति नहीं पैदा की सभी दलों में तो माननीय सदस्य का किनकी ओर इशारा था ? महोदय, यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का है । उससे राज्य सरकार का सबंध है । मराठवाडा यूनिवर्सिटी का मामला तो बहुत पहले से चला आ रहा था । 17 जुलाई को जब पवार साहब का मंत्रिमण्डल आया है उसके पहले से जो पाटिल साहब का मंत्रिमण्डल था और इसके भी पहले जो नाइक साहब का मंत्रिमण्डल था, यह बहुत दिनों से मांग चली आ रही थी कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामकरण डा० अम्बेडकर के नाम पर किया जाए । इसकी मांग बहुत पहले से आ रही थी और 17 जुलाई को यह आपस में तय किया गया था कि इस तरह का प्रस्ताव विधान सभा में लाया जाए । यह पवार साहब से पहले की बात मैं कह रहा हूं । जब पवार साहब आये हैं 27 जुलाई को, वहां की विधायिकों ने, लैजिस्लेचर ने दोनों सदनों में सर्व-सम्मति से यह प्रस्ताव कर दिया । किन्तु इसके बावजूद मराठवाड़ा में उसी तारीख 27 जुलाई को ही औरंगाबाद में बन्द रखा गया और जब इस घटना का समाचार वहां पहुंचा कि इस तरह का प्रस्ताव विधायक में स्वीकृत हो चुका है, तो हिंसा की घटनाएं शुरू हो गई । आरम्भ में जैसा कि मैंने अपने बयान में कहा है कि यह घटनाएं सरकारी कार्यालय, डाक-तार, टेलीफोन, रेल, बस, इसकी तरफ थीं । लेकिन शीघ्र ही तीन-चार दिन के बाद ही जैसे-जैसे शहर की जो घटनाएं थीं उन पर काबू पाया गया, यह घटनाएं, इस एजिटेशन का प्रसार जो है वह गांव की ओर चला गया और यह बात कहना सही है कि गांव में बहुत से घर जलाए गए हैं, कुछ जातीय दंगों में कुछ मृत्यु भी हुई है और पुलिस फाइरिंग में भी कुछ मृत्यु हुई है जिसका मैंने वर्णन किया है । किन्तु महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि दस दिनों तक दंगे हुए । दंगे नौ दिन तक हुए, 28 तारीख से छह तक, छह को तो काल-आफ कर दिये गये । लेकिन आठ-नौ दिनों में जो व्यापक बर्बादी हुई जिसके लिये मान्यवर सदस्य का असंतोष है कि क्यों नहीं स्थिति नियन्त्रण में आई । तो महोदय, स्थिति यह है कि स्थिति तो नियन्त्रण में आती गई, लेकिन जहां भी स्थिति नियन्त्रण में आई आन्दोलन का प्रसार गांव में फैलता गया और पीछे चल कर इसने जातीय रूप भी ले लिया जैसा कि इसमें मैंने कहा है ।

महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि नव-बौद्धों को वही सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती । नागपुर की बात माननीय सदस्य ने कही । नागपुर में पुलिस ने गोली चलाई जिसमें चार आदमी मरे । इसमें एक हरिजन की मृत्यु हुई और तीन गैर-हरिजन हैं । यह जो घटना हुई . . .

श्रीमती सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र) : आप जो जानकारी दे रहे हैं, वह गलत है । इसमें तीन गैर-हरिजन और नौ हरिजन थे ।

श्री धनिक लाल मंडल : महोदय यह घटना तब हुई जब प्रदर्शनकारी जो दो हजार की संख्या में थे, उन्होंने पुलिस थाने को घेर लिया ।

श्रीमती सरोज खापर्डे : माननीय मंत्री गुमराह करने वाली बात बता रहे हैं । यह घटना तब घटी जब कि अपनी-अपनी जगह से सारे लोग देख रहे थे और उसी वक्त पुलिस को जो हमारी सरकार ने आदेश दिया है कि गोली भी चलानी हो तो घुटने के नीचे मारो गोली से । उसी आदेश का पालन करने के लिये ऐसी जगह गोली चलाई गई है कि जहां आवश्यक नहीं था । आप गलत जानकारी दे रहे हैं ।

श्री धनिक लाल मंडल : महोदय, नव-बौद्धों को वही सुविधाएं क्यों नहीं मिलती है, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया, जो हरिजनों को मिल रही हैं । उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर भेद-भाव किया जाता है, यह सरकार धर्म के नाम पर भेद-भाव करती है । महोदय, मैंने इसको कितनी बार स्पष्ट किया है कि कन्स्टीच्यूशन के अनुसार ऐसा होता है । इससे धर्म का कोई भी सम्बन्ध नहीं है । जो संविधान है उसके अनुसार जो बौद्ध हैं उनको हरिजनों की सुविधा नहीं मिल सकती है यह जो संविधान में प्रावधान है, उपबन्ध है, उनके अनुसार ऐसा हो रहा है । और महोदय, उन को पार्लियामेन्ट या लेजिस्लेचर में रेप्रेजेन्टेशन को छोड़ कर बाकी सारी सुविधाएं मिल रही हैं । स्कालरशिप के मामले में—मैं महाराष्ट्र की बता रहा हूं—उनको बैकवर्ड क्लास ट्रीट किया जाता है और बैकवर्ड क्लासेज को वहां सर्विसेज में रिजर्वेशन है ।

श्री भा० दे० खोबरगडे : आपकी जानकारी के लिए मैं बतलाऊं कि बौद्धों को बैकवर्ड क्लासेज की लिस्ट में नहीं लाया गया है ; महाराष्ट्र में शेड्यूल्ड कास्टस को जो सहूलियतें मिल रही हैं, सारी सहूलियतें बुद्धिस्ट लोगों को मिल रही हैं । केवल बैकवर्ड क्लासेज को नहीं मिल रही हैं ।

श्री धनिक लाल मंडल : उनको वही सुविधाएं मिल रही है, केवल पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में छोड़ कर, बाकी सारी सुविधाएं मिल रही हैं ।... *(Interruptions)* मैं अपनी बात खत्म कर दूं ...

श्री देवराव पाटील : आप गलत इन्फार्मेशन दे रहे हैं ।

श्री भोला पासवान शास्त्री (बिहार) : आप इन्फार्मेशन ही दीजिएगा या और भी कुछ दीजिए ...

श्री धनिक लाल मंडल : मैंने महाराष्ट्र की बात बताई । बैकवर्ड क्लासेज के तहत उनको रिजर्वेशन की सुविधा मिलती है ।

SHRI BHAURAO DEVAJI KHOBRAGADE: That is wrong information. Buddhists are getting similar facilities which the Scheduled Castes are enjoying. Backward classes are getting . . . (Interruptions)

श्री भोला पासवान शास्त्री : मैं पूछना चाहता हूं कि जो संदर्भ आपने दिया है ... *(Interruptions)* ... हम भाषण नहीं देते हैं, हम इंफार्मेशन चाहते है कि जो हरिजन है, जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, उसको आप हरिजन मानते हैं कि नही मानते है ?

श्री धनिक लाल मंडल : नहीं मानते हैं ।

श्री भोला पासवान शास्त्री : ट्राइब्स में, अगर कोई क्रिश्चन हो जाता है, उसको आप ट्राइब मानते हैं या नहीं ?

श्री धनिक लाल मंडल : हां, मानते हैं ।

श्री भोला पासवान शास्त्री : फिर हरिजन जो बौद्ध हो गया उस को क्यों नहीं मानते हैं ?

श्री धनिक लाल मंडल : कांस्टीट्यूशन में जो है ।

श्री भोला पासवान शास्त्री : यह आप क्यों नहीं मानते हैं, इसका आपको स्पष्टीकरण करना चाहिए । क्यों नहीं मानते ?

(Interruptions)

श्री धनिक लाल मंडल : वेल्लुपुरम में पार्लियामेंटरी डेलिगेशन क्यों नहीं गया यह माननीय सदस्य जानते हैं जब प्रधान मंत्री ने विरोध पक्ष के नेताओं के साथ, जो पहले दौर में बातचीत की थी, उसमें यह तय हुआ-कि मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे दूं--कि जहां राज्य सरकार जुडिशल इंक्वायरी अपौइन्ट नही करेगी वहा यह पार्लियामेंटरी डेलिगेशन, सभी दलों का पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, उस स्थान में जाएगा और उसकी जांच करेगा. ऐसा एक कांशेन्स बना । ऐसा नहीं कि जहां जुडिशियल इन्क्वायरी हो गई है वहां भी पार्लियामेंट्री डेलोगेशन जाए क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है ।

अब रही कंझावला की बात । कंझावला में शांति है और जो एलाटीज है उनको जो अधिकार है वे अन्डिस्टर्बड अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं ।

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, मुख्य मंत्रियों की देखरेख में हरिजन सेल बने और डी० आई० जी० के अंडर बने जो उसकी जांच करे--जैसा कि सुझाव था--तो मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्णाटक, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में इस तरह का स्पेशल सेल चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी के अन्डर में काम कर रहा है, डी० आई० जी० और उसके एक्व्ह रैंक के लोग उस में हैं और यह काम हो गया है... *(Interruptions)* .. मुफ्त कानूनी सहायता की जो बात कही है, इस के बारे में भी विचार हो रहा है । पूरी बात सुन ली जाए । मुफ्त कानूनी सहायता वाली बात कह रहा हूं । बहुत सी राज्य सरकारें इस पर विचार कर रही हैं और इस पर निर्णय भी हो जाएगा । हम लोगों की ओर से भी उनको ऐसा सुझाव दिया गया है ।

अंतरजातीय विवाह के संबंध में --मैं माननीय सदस्य का आशय नहीं समझा-- यदि उन का मतलब यह है कि उन को क्यों नहीं प्रोत्साहन दिया जाता है तो बहुत सो राज्य सरकारें हैं जो प्रोत्साहन दे रही हैं वजीफा दे रही हैं. और सारी सुविधाएं दे रही हैं ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : आप भी कुछ दीजिएगा ।

श्री उपसभापति : सदन की कार्यवाही ढाई बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

The House then adjourned for lunch at fifteen minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock, Mr. Deputy Chairman in the Chair.

STATEMENT BY MINISTER

The Scheme for Replenishment of Gold against the Export of Gold Jewellery

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): May I have your permission for. a personal explanation?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Arif Beg.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG): Sir, government have been considering a scheme to allow replenishment of gold against the export of gold ornaments and I had assured last week that it will be finalised by Independence Day. The House will be happy to know that the scheme has been finalised and I am making this Statement to apprise the Members of its salient features.

The scheme would permit exports of ornaments made o.f gold of 14 carats